GCMS No.- 2025/162

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी

बद्री नारायण पुरोहित पुत्र जोगारामजी जाति राजगर ब्राह्मण(पुरोहित), निवासी वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही।

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 104/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/1058 दिनांक 19.11.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के खाता सं. 364 खसरा सं. 995, 996, 998, 999 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6100 हैक्ट. व खाता सं. 367 खसरा सं. 997 रकबा 0.0800 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी खातेदार के रूप में नाम बदाराम पुत्र जोगाराम दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविग लाइसेंस एवं जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम बद्री नारायण पुरोहित पुत्र जोगाराम है। प्रार्थी बद्रीनारायण व बदाराम एक ही व्यक्ति है। आम बोलचाल में बद्रीनारायण व बदाराम दोनो नामों से पुकारा जाता है। अतः राजस्व रेकर्ड में बदाराम के स्थान पर बद्रीनारायण किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के खाता सं. 364 खसरा सं. 995, 996, 998, 999 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6100 हैक्ट. व खाता सं. 367 खसरा सं. 997 रकबा 0.0800 हैक्ट. की आराजी में खातेदार का नाम बदाराम के स्थान पर बद्रीनारायण संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	